Helpline No.:-(+91)-7597122440
जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्स: 0141-2850551-75

क्रमांकः प(1)/जरारासंविवि/पीएसएसटी–2025/

दिनांक :

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश क्रमांक 633 दिनांक 15.09.2025 की निरन्तरता में पीएसएसटी–2024 से प्राप्त डेटा अनुसार छात्रों द्वारा संस्कृत रहित होते हुए भी B.A. with Sanskrit Category एवं B.A. with sanskrti Category होते हुए भी संस्कृत रहित कैटेगरी में प्रवेश लिया है, जिसे महाविद्यालय द्वारा वेरिफाई करके छात्र का प्रवेश कन्फर्म किया गया है। विश्वविद्यालय के नियमानुसार बी.ए.संस्कृत रहित कैटगरी छात्रों को संस्कृत का सेतु पाठ्यक्रम की परीक्षा अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में छात्रों द्वारा गलत कैटगंरी चयन के कारण सेतु पाठ्यक्रम परीक्षा आवेदन पत्र में जोडना/हटाना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रकरण में पीएसएसटी–2024 प्रवेश विवरणिका के बिन्दु संख्या 03, 12 तथा 17(iv) के नियमों के क्रम में पीएसएसटी संचालन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उक्त प्रकरण में प्रवेश अर्हता संबंधी असत्य तथ्यों को प्रमाणित करने वाले महाविद्यालयों पर प्रति छात्र पाठ्यक्रम शुल्क राशि रूपये 26930/– (अक्षरे रूपये छब्बीस हजार नौ सौ तीस मात्र) की दुगनी राशि रूपये 53860/– (अक्षरे तिरेपन हजार आठ सौ साठ मात्र) की पेनल्टी लगाई जाती है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा वर्ष 2024–25 की पीएसएसटी में जिन गैर संस्कृत विषय के छात्रों द्वारा सहवन से संस्कृत विषय एवं संस्कृत विषय के छात्रों द्वारा सहवन से गैर संस्कृत विषय चयन कर प्रवेश लिया गया है, उन छात्रों के शिक्षाशास्त्री परीक्षा आवेदन पत्र में सेतु पाठ्यक्रम विषय जोडने/हटाने का संशोधन महाविद्यालयों से उनके लैटरहैड पर पत्र एवं यथोचित प्रमाण लेते हुए संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण से संबंधित महाविद्यालयों की सूची प्राप्त होने पर पेनल्टी की वसूली हेतु संबंधित संस्था को 07 दिवस में जमा कराने हेतु सूचित किया जावेगा, संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं करवाये जाने की दशा में पेनल्टी राशि की वसूली पीएसएसटी–2024 की बकाया भुगतान राशि 25 प्रतिशत में किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

–Sd–
कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST, PSAT 2024-25

क्रमांकः प(1)/जरारासंविवि/पीएसएसटी–2025/671-76

दिनांक : 26/9/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. कुलपति महोदय, जरारासंविवि, जयपुर।
2. निजी सहायक, कुलसचिव, जरारासंविवि, जयपुर।
3. वित्त नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर।
4. परीक्षा नियंत्रक, जरारासंविवि, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयों से सेतु पाठ्यक्रम विषय जोडने/हटाने वाले छात्रों की सूची महाविद्यालयवार संबंधित फर्म से तैयार कराकर पीएसएसटी शाखा को उपलब्ध करावें ताकि शास्ती राशि वसूली की कार्यवाही की जा सके।
5. प्रभारी वेबसाईट, जरारासंविवि, जयपुर।

कुलसचिव एवं समन्वयक
PSST, PSSST, PSAT 2024-25